पंचम - अध्याय

निष्कर्ष एवं सारांश

प्रस्तुत शोध में ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता संबंधित समस्याओं का अध्ययन बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में किया गया है। जिसके अंतर्गत उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में ग्राम पंचायत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनितिक विकास को इंगित करता है अध्ययन शोध क्षेत्र के दौरान प्राप्त की गई प्राथमिक तथ्यों पर अधारित है जिसमें वाड्रफनगर ब्लांक के अतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की संरचन, पृष्ठभूमि पंचायत समिति एवं सदस्यों की सहभागिता और सम्बन्धी जानकारियों के सार पक्ष को महत्त्व दिया है। जिसके माध्यम से शोध अध्ययन के मूलभूत पहलुओं को सरलता से समझा जा सके साथ ही शोध अध्ययन सामग्र बिंदु निष्कर्ष को भी शामिल किया गया है जो अध्ययन के पश्चातशोधार्थी द्वारा दिए गए विषय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें शोध विषय की विश्वसनीयता व उनकी को रो रेखांकित किया जा सके।

शोध प्राविधि का सारांश:

प्रस्तुत शोध शीर्षक "ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता संबंधित समस्याओं का अध्ययन बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में" यह था। प्रस्तुत शोध में वाड्रफनगर ब्लांक में आने वाले ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया गया था प्रस्तुत शोध में मुख्यतः वणनात्मक एवं निदानात्मक अभिकल्प के तहत आता है यह शोध पुर्णतः मात्रात्मक स्वरूप में है। वाड्रफनगर ब्लांक के अंतर्गत 415 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 415 ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतों को चयन किया गया, जो कोगावर, हर्दिबहरा, बलंगी, गुडरू, तोराफा, जनकपुर, करमडीहा (क), बभनी, तुगुवा,

लंगड़ी, कक्नेसा, पशुपत्तिपुर, बेतों, बर्तिकला, रघुनाथनगर, गैना, सरना, पटवा, केशारी, भरहिबास, रामेशापुर, बाराती खुर्द, गिरवानी, हरिगांवा, भगवानपुर, मझौली, स्याही, करमडिहा (ब), रामपुर एवं गोवर्धनपुर के आदिवासी क्षेत्र का चयन कर अध्ययन किया गया था । यह प्रतिदर्श चयन हेतु बहुचारणीय यादृच्छिक प्रतिदर्शन पद्धति (multiphase rendom sampling methodh) का उउपयोग किया गया है प्रथम चरण में 415 ग्राम पंचायतो में से ३० ग्राम पंचायतों में से ३-३ सदस्यों का चयन किया गया है इन सदस्यों में सरपंच, उपसरपंच और पंच को लिया गया था जिसमे ९० इकाईयों का प्रतिदर्श लिया गया था । प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया गया और प्रत्यक्ष रुप से साक्षात्कार करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया, द्वितीयक स्त्रोत से आने वाली तथ्यों की आवश्यकता , और यह तथ्य का संकलन करने हेतु लायब्रेरी मेथड का उपयोग किया गया था।

❖ **अध्याय – ३ : उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति**

प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित तथ्य पाए गए है :

- ✓ ग्राम पंचायत में सबसे अधिक 18 से 35 वर्ष की युवा उत्तरदाता अपना प्रतिनधित्व दे रही हैं।
- ✓ सर्वाधिक 61 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाता अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं क्योकिं आदिवासियों क्षेत्र का प्रभुत्व है।
- ✓ सर्वाधिक उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानते है।
- ✓ सर्वाधिक उत्तरदाता (56.7 प्रतिशत) गरिबिरेखा के ऊपर (रु.1761 से अधिक) अतः 22.2 प्रतिशत गरिबिरेखा के निचे (रु. 760 तक) जीवन निर्वाह कर रहे है।

- ✓ आधे से अधिक उत्तरदाता 55 प्रतिशत एकल परिवार में रहते हैं।
- ✓ सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि साक्षर (35.6 प्रतिशत) हैं।
- ✓ सर्वाधिक उत्तरदाताओं का ग्राम पंचायत में दो वर्ष अभी हुवा है।
- ✓ सर्वाधिक उत्तरदाता 97 प्रतिशत ससुराल में रहकर प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

❖ **ग्राम पंचायत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास**

प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित तथ्य पाए गए है :

- ✓ 17.8 प्रतिशत उत्तरदाता हमेशा ग्राम सभा के बैठक में भाग लेती हैं। अधिकतर ५८.९ प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत के बैठक में सहभागि होती हैं।
- ✓ हमेशा 15.6 प्रतिशत पंचायत समिति द्वारा बैठक में प्रतिनिधित्व करती हैं।
- ✓ हमेशा 4.4 प्रतिशत जिला परिषद् के बैठक में भाग लेती हैं। 40 प्रतिशत कभी-कभी बैठक में भाग लेती हैं।
- ✓ लगभग आधे लोग कभी-कभी (45.6 प्रतिशत) और 42.2 प्रतिशत अधिक्तर ग्राम सभा के आयोजित बैठक में भाग लेते हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित विशेष ग्राम सभा में भाग लेने वाले उत्तरदाता की संख्या 37.8 प्रतिशत कभी कभी 40.0 प्रतिशत अधिक्तर भाग भाग लेते हैं।
- ✓ तकरीबन सभी उत्तरदाता ग्राम पंचायत के कार्यों में भाग लेते हैं।
- ✓ अधिक्तर उत्तरदाता ग्राम पंचायत में निर्णय लेने की भूमिका निभाती हैं।

- ✓ 42.2 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनाने में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हैं।
- ✓ 34.4 प्रतिशत ग्राम पंचायत के वार्षिक खर्च संबंधी महिला प्रतिनिधियों की भूमिका कभी-कभी होती है । लगभग आधे उत्तरदाता ग्राम पंचायत के वार्षिक खर्च संबंधी महिला प्रतिनिधियों की भूमिका अधिक्तर और 5.6 प्रतिशत उत्तरदाता हमेशा ही भूमिका निभाती हैं।
- ✓ 35.6 प्रतिशत उत्तरदाता अधिकतर बजट तैयार करने में भूमिका निभाती हैं।
- ✓ सरकारी कार्यक्रमों और योजना लागु करने में सम्बन्ध में 38.7 प्रतिशत कभी कभी हैं।
- ✓ 5.6 प्रतिशत उत्तरदाता कार्य योजना बनाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। तकरीबन सभी (46.7 प्रतिशत) स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में सक्षम है।
- ✓ 44.4 प्रतिशत कभी कभी और 38.7 प्रतिशत अधिक्तर उत्तरदाता ग्राम पंचायत की सभा में अपने विचार या कल्पना को सामने रखते हैं।
- ✓ 48.9 प्रतिशत कभी कभी और 33.3 प्रतिशत अधिक्तर उत्तरदाता अपने विचारों को ग्राम सभा के सामने रखते हैं।
- ✓ अपने विचारों को सरकारी अधिकारियों के सामने आधे उत्तरदाता कभी कभी और 28.9 प्रतिशत अधिक्तर रखते हैं।
- ✓ गैर सरकारी संगठन अधिकारियों के सामने विचार कभी कभी 46.7 प्रतिशत और 20.0 प्रतिशत हमेशा रखते हैं।
- ✓ 46.7 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत क्र कार्यों में उपस्थित होती है।

- ✓ 48.9 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा आयोजित सभी बैठक में रूचि अधिक्तर लेती हैं
- ✓ 47.8 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अपने विचारों को जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत संस्था के सामने कभी-कभी रखती है। 16.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अपने विचारों को जिला परिषद, पंचायत समिति के सामने अधिक्तर रखती हैं।
- ✓ उत्तरदाता हमेशा 2.2 प्रतिशत आफिस द्वारा गतिविधि में रिकार्ड की देखरेख तैयार और बजट अकाउंट में भाग लेती है।
- ✓ बाहरी कार्य जैसे आप के गाँव में सरकारी कार्यक्रम और योजना क्रियान्वयन में भाग 53.3 प्रतिशत कभी कभी लेते हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रम आधे से अधिक उत्तरदाता कभी कभी सहभागी होते हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत संचालन में महिलाओं की भूमिका तकरीबन सभी उत्तरदाताओं की उपस्थिति हैं।
- ✓ 48.9 प्रतिशत तकरीबन सभी उत्तरदाता की सहभागिता हैं।

❖ **अध्याय- 4 ग्राम पंचायत में सहभागिता एवं समस्याएँ**

प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित तथ्य पाए गए है :

✓ 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता हमेशा ही पुरुष सदस्यों द्वारा कमी महसुश करती है और सर्वाधिक उत्तरदाता (60 प्रतिशत) कभी कभी पुरुष सदस्यों कमी महसुश कराती है।

✓ 85 प्रतिशत उत्तरदाता कभी-कभी पुरुष सदस्यों से भेद-भाव की कमी महसुश करती हैं ।

✓ आधे से थोड़ा कम उत्तरदाता अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन का अनुभव नहीं करती है।

✓ सर्वाधिक (56 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों को महिलाओं से कभी कभी समर्थन की कमी महसुश होती है।

✓ 28.9 प्रतिशत महिलाओं को बिल्कुल समस्या नहीं है जो ज्यादा शिक्षित है।

✓ उत्तरदाताओं को छूआछूत की समस्या भी कभी कभी होती है।

मुख्य शोध:

❖ उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

❖ ग्राम पंचायत में सहभागिता एवं समस्याएँ

❖ ग्राम पंचायत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति

परिकल्पनाओं का परिक्षण:

- **उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं की ग्राम पंचायत में सहभागिता ज्यादा है।**

'उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायत जागरूकता ज्यादा है जिसमें सभी उत्तरदाताओं में ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं की सहभागिता संबंधी जानकारी अधिक है। शिक्षा व सदस्यों में ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं की सहभागिता संबंधी जानकारी को दर्शाती है। जिसमें सभी उत्तरदाताओं में ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं की सहभागिता संबंधी जानकारी अधिक है । chi squre परीक्षण

के माध्यम से स्पष्ट होता है कि 21 Degree of Freedom के साथ कुल मान (calulated value) 77.985[a] है एवं Level of Significance .000 कम है 0.05 इस आधार पर परिलक्षित होता है कि सारणी 4.6 में यथार्थ है इस आधार पर शोध परिकल्पना 'शिक्षा स्तर और ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं की सहभागिता जानकारी' स्थापित होती है। जबकि सारणी 4.6 के 21 सेल में अपेक्षित कम से कम संख्या में chi square परीक्षण के परिणामों को मान्य करने में बाधाएं उत्पन्न होती है।

- **उत्तरदाताओं की ग्राम पंचायत के कार्यकाल में वृद्धि होने पर महिलाओं की ग्राम पंचायत में सहभागिता कम होती जा रही है।**

ग्राम पंचायत में उत्तरदाता सदस्यों की अवधि में तथा 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत में जानकारी अधिक है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की सहभागिता संबंधी जानकारी बहुत अधिक है वहीं महिला उत्तरदाताओं में किसी को भी बहुत अधिक जानकरी नहीं है। अध्ययन से स्पष्ट कि ग्राम पंचायत में उत्तरदाता सदस्यों की अवधि की अपेक्षा ग्राम पंचायत में महिलाओं की सहभागिता संबंधी जानकारी बहुत अधिक है।

- **उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं को कार्य करते समय ज्यादा समस्याएँ आती है।**

सारणी 4.7 ग्राम पंचायत में सदस्यों की अवधि व ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उत्तरदाताओं की समस्या संबंधी जानकारी को दर्शाती है। जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उत्तरदाताओं की समस्या संबंधी जानकारी अधिक है । chi squre परीक्षण के माध्यम से स्पष्ट होता है कि 4 Degree of Freedom के साथ कुल मान (calulated value) 46.497[a] है एवं Level of Significance .000 है जो कि से कम है 0.05। इस आधार पर परिलक्षित होता है कि सारणी 4.7 में प्राप्त तथ्य यथार्थ है। इस आधार पर शोध परिकल्पना ग्राम पंचायत में सदस्यों की अवधि * ग्राम पंचायत के

सदस्य के रूप में उत्तरदाताओं की समस्या स्थापित होती है। जबकि सारणी 4.7 के 000 सेल में अपेक्षित कम से कम संख्या से कम है इसलिए chi square परीक्षण के परिणामों को मान्य करने में बाधाएं उत्पन्न होती है।

मुलभुत शोध प्रश्न के जवाब:

1) ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधि की कितनी सहभागिता है?

- **हमेशा ग्राम पंचायत सभा के बैठक में 16.8 प्रतिशत उत्तरदाता सहभागि होती हैं।**

इस परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत समिति के बैठक में ग्राम सभा के साथ साथ प्रशिक्षण और जागरुक किया जा सकता है जिससे ग्राम पंचायत के बैठक के क्रियान्वयन के बारे में सभी को जानकारी मिला सके।

- **हमेशा 15.6 प्रतिशत पंचायत समिति द्वारा बैठक में प्रतिनिधित्व करती हैं।**

इस कार्यक्रम समिति में पंचायत समिति के सदस्यों को जानकारी बहुत कम होती है जिसके कारण बैठक में प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं कर पाती है क्योंकि ग्रामीण महिला प्रतिनधि ज्यादातर अशिक्षित वसाक्षर ही हैं जिससे बैठक में सहभागी होती हैं लेकिन प्रतिनिधित्व उनके पति ज्यादातर करते हैं

- **हमेशा 4.4 प्रतिशत जिला परिषद् के बैठक में भाग लेती हैं। 40 प्रतिशत कभी-कभी बैठक में भाग लेती हैं।**

इस परिपेक्ष्य में जिला परिषद में महिलाएँ शाक्षर और घर के काम-काज कराती है इसलिए नहीं जा पाती हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों में भाग लेना चाहती है लेकिन ग्राम पंचायत का ज्यादातर कार्य भार उसके पति के हाथ में होता है।

- **48.9 प्रतिशत तकरीबन सभी उत्तरदाता की सहभागिता हैं।**

  48.9 प्रतिशत ग्राम पंचायत में सहभागी है और सर्फ 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता हमेशा से सहभागी रहती हैं महिलाएँ इतनी कम सहभागी रहती हैं कि उनको कुत्सित मानसिकता से गुजरना पड़ता है। गाँव में आज अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अशिक्षा पिछड़ा पन है जिसका खामियाजा महिला सरपंचों को उठाना पड़ रहा है। पुरुष कभी बर्दाश्त नही करंगे की एक महिला उनपर हुकुम चलाये या उनसे सवाल जवाब करे।

2) ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनधि को कौन-कौन सी समस्याएँ आती है?

चार्ट 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 व 4.5 में पाए गए तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शत-प्रतिशत पंचायत समिति में महिलाओं को कई तरह के समस्याएँ अति हैं। चार्ट 4.1 में 60 प्रतिशत महिलाएँ पुरुषों की समर्थन की कमी संबंधित समस्याओं का सामना करती हैं, और आधे से अधिक उत्तरदाता पुरुष सदस्यों से भेदभाव का अनुभव कराती हैं। अधिक्तर 5.6 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है की अपने परिवार में ही समर्थन की समस्या होती है। 56.7 प्रतिशत कभी कभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से ही समस्याएँ होती हैं। ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में चुने गए समग्र उतरदाताओं को 70 प्रतिशत कभी कभी किसी न किसी तरह की समस्याएँ होती ही हैं।

निष्कर्ष:

सर्वप्रथम महिलाओं को राजनीति में जागरूक होने की आवश्यकता है। राजनीति में महिलाओं के जागरण का अर्थ हैं शिक्षा संस्कार और मानसिक रूप से जागरण होना, अतः भारतीय समाज में महिलाओं का सर्वप्रथम दायित्व माता के साथ राजनीति कार्यकलाप का समन्वय होना आवश्यक है, एक सफल माता और पत्नी ही समाज और देश का सफल नेतृत्व दे सकती है भारत की नारी अपनी

अस्मिता खोती जा रही है जो हमारे देश के राजनीति में एक समस्या हो साबित हो रहा हैं अतः प्राचीन संस्कृति की अवधारणा में नारीत्व का परिवेश आज की नारीयों को समझाना होगा तभी राजनीति में नेतृत्व करने का पैमाना सफल होगा । महिलओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है । महिलाओं को आत्मनिभर बनाना ही आवश्यक है । जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी तभी अपने कार्य क्षेत्र में निकलकर अपनी स्वेछा से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत में महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। आरक्षण व्यवस्था सिर्फ ग्राम पंचायत/राजनीति के लिए नहीं बल्की उन्हें उनके विकास सबंधित कई कार्यों में आने के लिए हैं।

आज यह सच है कि राजनीति में काफी संख्या में महिलाएँ आ रही हैं और सफल भी हो रही हैं लेकिन उनका सफल होने का रास्ता बहुत कठिन है। महिलाएँ कठिनाइयों का सामना करके आगे निकल रही हैं, इसमें सबसे बड़ी रुकावट अशिक्षा और जगरुकता का न होना है । जब महिलाएँ जागरुक और शिक्षित होती जायेगी तो उनका विकास वैसे ही धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा लेकिन फिर भी देश में बहुत कम शिक्षित महिलाएँ हैं इसी कारण आज विकास की गति भी काफी कम है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाएँ राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए और विकास संबंधी उदेश्य को क्रियान्वित करने के लिए भी ग्राम पंचायत में चुनकर आई फिर भी इस संवैधानिक आरक्षण से ही महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आया भारत देश में पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में लगभग दस लाख महिलाएँ चुनकर आयी हैं पर इनमें से

अधिकतर अशिक्षित हैं। इसके आलावा राजनीति सोच का आभाव, शोषण आदि कारण भी है जिन्हें दूर करने का प्रयास कारना चाहिए तभी महिलाएँ राष्ट्र के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकेंगी और और इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान अर्जित कर पायेंगी।

प्रस्तावित समाजकार्य हस्तक्षेप:

इस परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत समिति को समाज कार्यकर्ता पंचायत समिति के साथ मिलकर महिलाओं को जागरूकता और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा सकता है जिससे पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ साथ और भी महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा संविधान किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता अर्थात न तो पुरुषों का पक्ष लेता है न महिलाओं का विरोध करता है। जिस तरह संविधान की नजर में स्त्री-पुरुष सामान हैं, उसी प्रकार महिलाओं के पक्ष में कानूनों में भी पुरुषों के समान दर्जा दिलाकर उसके लिए समुचित न्याय प्रबंध किया है। जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। ये सभी बाते हम ग्राम पंचायत में प्रतिनिधियों को जागरुक किया जा सकता है, ताकि महिलाएँ ग्राम पंचायत में अपनी समस्याओं का निदान कर सकें।